

(2019/00143)

तारीख
हुक्म

राजस्व अपील संख्या → 48/2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

ओमप्रकाश तारा वनाम पौकरसिंह वर्मा

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

16-11-2022

माननीय राजस्व मंडल राजस्व अफसर
के मूल पत्रावली आज इस न्यायालय को
प्राप्त हुई इस न्यायालय के प्रकरण व.
48/2019 में आदेश दिनांक 13-8-2019
के विरुद्ध माननीय राजस्व मंडल राजस्व
अफसर में निगरानी पत्र की गई थी
इसके अंतर्गत निगरानी में वकील प्रवीण
दास निगरानी दिखा दिए जाने के
कारण माननीय न्यायालय राजस्व मंडल
अफसर द्वारा जमाने दिखा खारिज ही जाउए
इस मूल पत्रावली इस न्यायालय में
निजवाई गई है। पत्रावली आदेश दिनांक
05-12-2022 को पेश हो।

24/11/2022

अपीलापीठिका द्वारा आवना-पत्र अन्तर्गत
धारा 151 CPC वास्ते शीघ्र सुनवाई करने
का पेश करने पर पत्रावली आज पेशी पर
की गई।

अपीलापीठिका ने आवना-पत्र अन्तर्गत आदेश
23 नियम 01 अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी का
पेश करने पर बताया कि प्रकरण में पत्रकारों के बीच
सजीनामा हो चुका है इस कारण अपीलापीठिका
अब माननीय न्यायालय से कोई अनुज्ञाप
पत्र करना नहीं चाहते हैं अपीलापीठिका बिना
किसी शर्तों के तहत अपील को विद्रो करना
चाहते हैं अपीलापीठिका ने आवना-पत्र स्वीकार

[Signature]
24/11/2022
Identified
by me
13-11-2022
RFB

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

मालत

मुकाम

कदमा

नं.

सन्

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>कैर अपील जारिमे बिडो खारिज रखे की आर्निना की।</p> <p>हमने आर्निना-पत्र का अवलोकन किया। • थाप्रहित में अपीलकर्ता/शर्मागिन का आर्निना- पत्र स्वीकार किया जाकर अपील जारिमे बिडो खारिज की जाती है। अपीलकर्ता संख्या। से 3 की पहचान उनके अधिवक्ता श्री वी० आर० विश्वोईने की। पत्रावली फंसल शुमार हाकर दाखिल रफ्तार हो।</p> <p style="text-align: center;">(H/22)- अपर जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर</p>	